न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—282/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/282)

1. मुन्ना पुत्र श्री किशना जाति जाट निवासी ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. खेमराज पुत्र श्री नानू
2. प्रेमराज पुत्र श्री नानू
3. हेमराज पुत्र श्री नानू
4. संग्राम पुत्र श्री नानू
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

5. भंवरलाल पुत्र श्री किशना
6. सूरजमल पुत्र श्री किशना (मृतक) जरिए वारिसानः—
   6/1 छोटी देवी पत्नि सूरजमल
   6/2 महावीर पुत्र सूरजमल
   6/3 रघुवीर पुत्र सूरजमल
   6/4 सुखवीर पुत्र सूरजमल
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर।
   6/5 मधु पत्नि विष्णु पुत्री सूरजमल
   6/6 कमला पत्नि किशन पुत्री सूरजमल
   दोनों जाति जाट निवासी पोसवालों की ढाणी सुरसुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।
7. कंवरी पुत्री श्री किशना जाति जाट निवासी ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 02.12.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कैम्प कोर्ट कायड़ राजस्व वाद संख्या 07/2019.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री मंगलाराम चौधरी, मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01
3. श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 08
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 6/1 से 6/6 व 7 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—25.04.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट कायड़ द्वारा प्रकरण संख्या 07/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अपीलांट को जरिए नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलांट ने अभिभाषक नियुक्त कर जवाब प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंट के खेत पर आने जाने का रास्ता पूर्व से ही है। अपीलांट के खेतों से लगता हुआ कोई रास्ता नहीं नहीं है रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त फरमाया जावे। जिस पर सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर एकतरफा में अपने निर्णय दिनांक 29.5.2017 द्वारा रेस्पोडेंट्स के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उन्हें 10 फुट चौडा रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 2.5.2019 द्वारा स्वीकार कर उभयपक्षों की मौजूदगी में मौका पर्चा तैयार करवा कर उभयपक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने बाबत प्रतिप्रेषित किया था। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तलब कर दी गई थी जिसके बाबत अपीलांट द्वारा प्रार्थन पत्र आपत्ति मौका पर्चा दिनांक 2.2.2017 एवं 7.2.2017 बाबत दिनांक 10.12.2019 को प्रस्तुत किया था जिस पर पत्रावली नियत थी व दिनांक 25.10.2021 से प्रकरण में आगामी तारीख दिनांक 20.12.2021 नियत की गई इसके पश्चात अपीलांट को लोक अदालत का नोटिस जारी किए बगैर पत्रावली को प्रशासन गांवों के संग अभियान में दिनांक 2.12.2021 को नियत कर दी गई जिसमें अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 2.12.2021 को ही प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण बहस हेतु परिपक्व नहीं है एवं उपरोक्त प्रकरण में मौका पर्चा पर बहस होना शेष है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त प्रकरण में तारीख पेशी दी जावे। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश दिनांक 2.12.2021 को पारित कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट कायड़ द्वारा प्रकरण संख्या 07/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 से 5, 6/1 से 6/6 व 7 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि लोक अदालत में सिर्फ उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें दोनों पक्षकार सहमत हो एवं कोई राजीनामा किया जा रहा हो इस बाबत अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को केम्प कोर्ट में ही प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा शेष तरतीबी रेस्पोडेंट्स को सुनवाई का अवसर दिए बगैर रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के तहत सभी पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिया जाना न्यायिक रूप से अनिवार्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

था इसके बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने निर्णय पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट की आराजी जिसमें से रास्ता मांगा जा रहा है उपरोक्त आराजी का खसरा नम्बर 5102/663 रकबा 0.34 हैक्टर मुन्ना पुत्र किशना एवं भंवरी पुत्री किशना के हिस्से में है जिसमें से अगर 12 फुट रास्ता प्रदान किया जाता है तो अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ही नहीं बचेगी। न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को यह कहते हुए स्वीकार किया गया था कि उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका पर्चा तैयार किया जाकर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश प्रदान किए थे इसक बावजूद भी उपखण्ड अधिकारी अजमेर ने फर्द अहकाम दिनांक 12.2.2021 में उभयपक्षों की उपस्थिति में मौका पर्चा का जो आदेश दिया उसी को आधार मानते हुए निर्णय पारित कर दिया गया जबकि न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार द्वारा नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य था इसके बावजूद भी बिना कोई नोटिस जारी किए एकतरफा में उपस्थित नहीं होने का कथन अंकित कर जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट ने उनके समक्ष आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था एवं उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा0दी0 मय धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र बहस हेतु विचाराधीन था जिसे केम्प कोर्ट में एकतरफा में बिना अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंटस को सुनवाई का अवसर दिए बगैर स्वीकार कर उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया परंतु वारिसान को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एव ना ही कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत जाकर अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजी में से रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया। पत्रावली वास्ते बहस आपत्ति एवं कायम मुकाम हेतु नियत थी जिसमें दिनांक 25.10.2021 से आगामी पेशी दिनांक 20.12.2021 नियत की गई थी इसके बावजूद दिनांक 20.12.2021 से पूर्व ही पत्रावली को दिनांक 2.12.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान में बिना अपीलांट को नोटिस जारी किए ही नियत कर दिया गया एवं बिना पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिए बगैर रास्ता प्रदान करने में त्रुटि कारित की है। जबकि विपक्षी की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात पर जाने के लिए दीर्घतम रास्ता मौके पर उपलब्ध है जिससे वर्षों से विपक्षी आवागमन कर रहे है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट कायड़ द्वारा प्रकरण संख्या 07/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम कायड तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2065–2084 के अनुसार खाता सख्या 855 के खसरा नम्बर नवीन 656 रकबा 0.65 हैक्टर किस्म बारानी 1 जो कि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज होकर मौके पर भौतिक रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी आराजी खसरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नम्बर 656 में आवागमन का एक मात्र रास्ता जो कि खसरा नम्बर 691 से निकल कर आगे अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 662 एवं 663 जो की अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2065–2084 में दर्ज है जिसके दक्षिण दिशा की ओर बनी मेढ के सहारे सहारे आगे प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 656 पर अब तक बिना किसी दखल एवं व्यवधान के आते जाते रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर उक्त मेढ के सहारे सहारे आवागमन के उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है जिसके कारण प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर खेती बाडी करने एवं खेत की जुताई, बुआई एवं कटाई कर फसल को ले जाने हेतु कृषि प्रयोजना साधन यानि कि ट्रेक्टर ट्रोली आदि के लाने ले जाने में अत्यधिक व्यवधान उत्पन्न हो गया है जिस हेतु प्रार्थीगण को स्थायी रास्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 656 पर जो उनके पूर्वजो के समय से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 662 एवं 663 के दक्षिण दिशा में बनी मेढ के सहारे सहारे होकर प्रार्थीगण के खेत तक आवागमन का जो रास्ता उपलब्ध था को मौके पर 20 फीट चौडा कर रास्ते हेतु भूमि निर्धारित कर नियमानुसार एवं न्यायालय के आदेशानुसार देय क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार एवं तत्पर है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजी को जोतने हाकने हेतु ट्रेक्टर टोली आदि को ले जाकर कृषि कार्य कर सके जिससे यह प्रार्थना पत्र वास्ते मौके पर रास्ता उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रस्तुत है। प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 656 पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 662 एवं 663 की दक्षिण दिशा की मेड के सहारे सहारे 20 फीट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में से जो रकबा रास्ते की भूमि में आ रहा है नियमानुसार राशि निर्धारित करने एवं न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण द्वारा अदा करने को तैयार है उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में इन्द्राज कर राजस्व मानचित्र में उक्त रास्ते की भूमि को तरमीम किए जाने के निर्देश अप्रार्थी संख्या 5 तहसीलदार अजमेर को प्रेषित करावे जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी में शांतिपूर्ण रूप से कृषि कर अपना एवं परिवार का भरण पोषण कर सके। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं किए जाने से उक्त निर्णय को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विरूद्ध अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, अजमेर ने रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने के आदेश दिनांक 02.12.2021 को पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए प्रकरण में निर्णय पारित किया गया हैं। उक्त आराजीयात खसरा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

5102/663 में से यदि 12 फुट रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ही नहीं बचेगी। मौका रिपोर्ट बाबत तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार का उपस्थिति बाबत नोटिस जारी नहीं किया गया उपस्थित नहीं होने का कथन अंकित कर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट प्रतीत होती है कि अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका पर्चा दिनांक 2.2.2017 व 7.2.2017 प्रस्तुत किया। इस संबंध में न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.2.2021 को दोनों पक्षों को तहसीलदार अजमेर के समक्ष मौका हेतु उपस्थित होने बाबत आदेशित किया गया किंतु मौका रिपोर्ट आईएलआर की दिनांक 9.3.2021 व मौका रिपोर्ट दिनांक 7.10.2019 को भी रेस्पोडेंट संख्या 5 व 7 भंवरलाल व कंवरी अनुपस्थित रहे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना दिए जाने के पश्चात भी अप्रार्थीगण भंवरलाल व कंवरी अनुपस्थित रहे। अपीलांट द्वारा कहे गए कथन इस बाबत सत्य प्रतीत नहीं होते है। उक्त प्रकरण से संबंधित अन्य प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर के द्वारा दिनांक 29.5.2017 के द्वारा स्वीकार किया जाकर भूमि की एवज में 10 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध कराए जाने के आदेश भी न्यायालय द्वारा प्रदान किए गए। जबकि न्यायालय द्वारा रास्ते के बदले भूमि दिए जाने के आदेश प्रदान किए जाने के पश्चात भी अपीलांट संतुष्ट नहीं हुए। उक्त आदेश दिनांक 29.5.2017 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रकरण संख्या 310/2017 भंवरलाल पुत्र किशना व अन्य बनाम खेमराज व अन्य में न्यायालय द्वारा दिनांक 2.5.2019 को आदेश पारित करते हुए उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर सहायक कलक्टर, मुख्यालय अजमेर के आदेश दिनांक 29.5.2017 को अपास्त किया गया व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया कि वे उभयपक्ष की मौजूदगी में मौका पर्चा तैयार करवा कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए निर्णय पारित करे। परंतु उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बार बार अवसर दिए जाने पर भी मौका रिपोर्ट के समय भंवरलाल व कंवरी अनुपस्थित रहे। इस बाबत तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 7.2.2017 व 12.3.2021 का अवलोकन किए जाने के पश्चात यह तथ्य दृष्टिगत हुए कि *" प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु वर्तमान में रास्ते के मध्य खसरा नम्बर 662 व 663 आते है जिन के मौके पर रास्ता नहीं बना हुआ है। प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु 20 फुट रास्ता चाहा गया है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 662 में से 0.054 है व खसरा नम्बर 663 में से रकबा 0.006 है0 कुल रकबा 0.06 है0 बनता है। चाहे गए मार्ग में मुन्ना पुत्र किशना व भंवरी पुत्री किशना कौम जाट निवासी कायड की भूमि आती है खसरा नम्बर 663 का राजस्व रिकार्ड में विभाजन होकर खसरा नम्बर 663 में से खसरा नम्बर 5102/663 रकबा 0.034 मुन्ना पुत्र किशना व भंवरी पुत्री किशना के हिस्से में आई है परंतु राजस्व मानचित्र में तरमीम नहीं है मौके पर चाहा गया रास्ता मुन्ना व भंवरी के हिस्से में आता है। चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। "* अतः इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट की खातेदारी आराजीयात में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है व रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

है। चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गयी उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के उपरांत ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए ही रास्ता कायमी के आदेश दिए गए है। चूंकि वर्तमान रेस्पोडेंट के खसरा नम्बर 656 में कृषि कार्य करने हेतु आवागमन का रास्ता नहीं है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 656 पर आवागमन हेतु ग्राम कायड तहसील अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 662 व 663 में से 12 फुट चौडा रास्ता दिए जाने के न्यायसंगत आदेश दिए है।

इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2023 आरबीजे 470 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955–** *"धारा 251ए नये रास्ते की स्वीकृति के लिये क्या आवश्यक तथ्य है उसका विवरण धारा 251ए में दिया गया है, उसके अनुसार इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता है न कि सुविधा के लिये इसके लिये वैकल्पिक रास्ते का नहीं होना आवश्यक है इस प्रकार के तथ्य है तो नया रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। इस वाद में सभी शर्ते हैं इसलिये नया रास्ता स्वीकार किया गया।"* उक्त न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर कैम्प कोर्ट कायड़ द्वारा प्रकरण संख्या 07/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.12.2021 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

25/04/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner